



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा पशु व मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर पशु/वाहन चोर अभियुक्तगण गिरफ्तार।

बरामदगी:-

- 01 चोरी गयी भैस
- 01 मोटर साइकिल
- 01 छोटा हाथी (घटना में प्रयुक्त)
- 04 भैसों की गलथनी मय टाल
- 1,50,000/- रुपये नकद (पशुओं को बेचकर अर्जित की गयी) बरामद

अवगत कराना है कि 1. दिनांक 20.01.2024 को वादी श्री सौरभ सैनी पुत्र घनश्याम सैनी नि० ग्राम ब्लाक कालोनी कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की एक भैस व एक कटिया चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली रामपुर मनि० पर मु०अ०सं० 26/2024 धारा 380 भादवि, 2. दिनांक 21.01.2024 को वादी श्री विकास सैनी पुत्र सतपाल सैनी नि० ग्राम ब्लाक कालोनी प्रा० स्कूल नं०-2 कस्बा व थाना रामपुर मनि०, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की एक मोटर साइकिल नं० यूपी 11 क्यू 4935 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली रामपुर मनि० पर मु०अ०सं० 27/2024 धारा 379 भादवि व 3. दिनांक 24.01.2024 को वादी श्री राजू पुत्र भुल्लन सिंह नि० ग्राम मौ० गंगाराम कस्बा व थाना रामपुर मनि०, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की दो भैस चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली रामपुर मनि० पर मु०अ०सं० 28/2024 धारा 380 भादवि पंजीकृत कराये गये थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व पशु/वाहन चोरी घटनाओं की रोकथाम हेतु लगातार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में उपरोक्त घटनाओं के शीघ्रअतिशीघ्र अनावरण हेतु लगातार अभियान चलाकर चैकिंग की जा रही थी इसी क्रम में दिनांक 24.01.2024 को थाना रामपुर मनि० पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. शाहनियाज पुत्र मौ० नसीम निवासी मौ० पीपल तला थाना व कस्बा रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर 2.तनवीर उर्फ सोनू पुत्र सगीर निवासी मौ० महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर 3. समीर अहमद पुत्र नसीर अहमद निवासी मौ० हीरान मारान गली नं० 1 मकान नं० 5/546 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को 01 चोरी गयी भैस व 01 चोरी गयी मोटर साइकिल व रु 1,50,000/- रुपये नकद, 01 छोटा हाथी (वाहन) व 04 भैसों की गलथनी मय टाल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 26/24 व मु०अ०सं० 28/24 में धारा 34/411 भादवि तथा मु०अ०सं० 27/24 में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण शाहनियाज, तनवीर उर्फ सोनू व समीर उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्त शहनियाज ने बताया कि मैं (शहनियाज) कक्षा 05 तक पढा हूँ, मैं (तनवीर उर्फ सोनू) पढा लिखा नहीं हूँ तथा मैं (समीर अहमद) कक्षा 10 तक पढा हूँ। हम तीनों आपस में दोस्त हैं, हम तीनों अपने शौक को पूरा करने के लिये एक साथ मिलकर रात्रि में भैंस चोरी करके कम दामों में पैठ बाजार में बेच देते हैं। दिनांक 19/20.01.24 की रात्रि को ब्लाक कालोनी कस्बा रामपुर मनियारन से जो एक भैंस व एक कटिया चोरी की थी तथा कल कस्बा रामपुर मनियारन से जो दो भैंस चोरी की थी हम तीनों ने चोरी की थी जिसमें एक भैंस यह है और एक भैंस को जंगल में बाँध कर दूसरी को हम बाजार पैठ में बेच आये थे। जो छोटा हाथी इसी से हम भैंस चोरी करते हैं और भैंसों की इसी से बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। तथा तनवीर उर्फ सोनू के पास से 85000/- रुपये मिले हैं वह चार दिन पहले ब्लाक कालोनी से जो कटिया व भैंस बेची थी उसे की है। तथा समीर अहमद से जो 65000/- रुपये मिले हैं वो कल जो भैंस बेची थी उसी के। यह छोटा हाथी मेरा(शहनियाज) है। बताया कि हम तीनों इस भैंस को बेचकर सभी पैसे को हम बराबर बराबर हिस्सों में बाँट लेते गलती हो गयी साहब माफ़ कर दीजिये।

अभियुक्त तनवीर उर्फ सोनू ने बताया कि मैं पढा लिखा नहीं हूँ जो मोटरसाइकिल है मैंने यह मोटर साइकिल कस्बा रामपुर मनियारन ब्लाक कालोनी से दिनांक 18.01.24 को चोरी की थी मेरे दोनो पकड़े गये साथियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैंने इन दोनो को इस मोटरसाइकिल के बारे में अपनी बताया था तथा हम तीनों मिलकर पशु चोरी की घटनाएं करते हैं और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते हैं। उन्हें आपस में बाँट लेते हैं।

अभियुक्त समीर अहमद ने पूछने पर बताया कक्षा 10 तक पढा हूँ तथा हम तीनों मिलकर पशु चोरी की घटनाएं करते हैं और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते हैं। उन्हें आपस में बाँट लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. शाहनियाज पुत्र मौ0 नसीम निवासी मौ0 पीपल तला थाना व कस्बा रामपुर मनियारन जनपद सहारनपुर
2. तनवीर उर्फ सोनू पुत्र सगीर निवासी मौ0 महल कस्बा व थाना रामपुर मनियारन जनपद सहारनपुर समीर
3. अहमद पुत्र नसीर अहमद निवासी मौ0 हीरान मारान गली नं0 1 मकान नं0 5/546 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शहनियाज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 26/24 धारा 379/411/34 भादवि थाना रामपुर मनि0
2. मु0अ0स0 28/24 धारा 379/411/34 भादवि थाना रामपुर मनियारन।

अभियुक्त तनवीर उर्फ सोनू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 26/24 धारा 379/411/34 भादवि थाना रामपुर मनि0
2. मु0अ0स0 28/24 धारा 379/411/34 भादवि थाना रामपुर मनि0
3. मु0अ0स0 27/24 धारा 379/411 भादवि थाना रामपुर मनियारन
4. मु0अ0स0 391/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना रामपुर मनियारन
5. मु0अ0स0 455/17 धारा 379/411 भादवि थाना रामपुर मनियारन
6. मु0अ0स0 622/18 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना रामपुर मनियारन
7. मु0अ0स0 412/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना रामपुर मनियारन
8. मु0अ0स0 191/17 धारा 354/452/504/506 भादवि थाना रामपुर मनियारन

अभियुक्त समीर अहमद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 26/24 धारा 379/411/34 भादवि थाना रामपुर मनि0
2. मु0अ0स0 28/24 धारा 379/411/34 भादवि थाना रामपुर मनियारन।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 चोरी गयी भैस
- 01 मोटर साइकिल
- 01 छोटा हाथी (घटना में प्रयुक्त)
- 04 भैसों की गलथनी मय टाल
- 1,50,000/- रुपये नकद (पशुओं को बेचकर अर्जित की गयी) बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 श्री विनय शर्मा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री जसवीर सिंह थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
4. का0 2324 रवि कुमार थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
5. का0 2215 ललित कुमार थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
6. का0 339 दीपक भारद्वाज थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
7. का0 404 मनीष कुमार थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 25.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 21 बोतल अवैध देशी शराब बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु नशीले पदार्थ एवं अवैध शराब के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. विकास पुत्र शीशपाल निवासी कुतुबपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर 2. राहुल पुत्र संजय निवासी कुतुबपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को ग्राम कुतुबपुर से यमुना की ओर जंगल के रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से कुल 21 बोतल देशी शराब रसीला सन्तरा हरियाणा मार्का बरामद हुई बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0स0 20/24 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. विकास पुत्र शीशपाल निवासी कुतुबपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. राहुल पुत्र संजय निवासी कुतुबपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

अभियुक्त विकास का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 217/21 धारा 465 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
2. मु0अ0स0 20/24 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर

अभियुक्त राहुल का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 20/24 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

21 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 251 विदोष थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 1773 राहुल कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. का0 2557 कृष्ण कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना फतेहपुर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा पीडित के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से
ठगी गयी 20000/- रुपये की रकम करायी गयी वापस**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा दिनांक 16.01.2024 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत साइबर शिकायत संख्या 33101240006337 में त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडित राहुल पुत्र छम्मूराम निवासी ग्राम नानका थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर के साइबर फ्रॉड में गये 20000/- रुपये वापस कराये गये। पीडित द्वारा रुपये वापस आने पर सहारनपुर पुलिस का आभार प्रकट किया है।

साइबर हेल्प डैस्क टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर गौरव कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.01-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में अपराधियों व लम्बित एनबीडब्लू / वारण्टियों के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 25.01.2024 को 01 वारण्टी अभियुक्त कासिफ पुत्र इमरान उर्फ बुद्धु निवासी ढोलीखाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं0 681/22 मु0अ0सं0 10/22 धारा 302/386/34 भादवि चालानी थाना कुतुबशेर सहारनपुर (माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 4 सहारनपुर) को थाना क्षेत्र कुतुबशेर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कासिफ उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता -

1. कासिफ पुत्र इमरान उर्फ बुद्धु निवासी ढोलीखाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. कां0 1061 सन्दीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. कां0 1811 राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25-01-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से मन्दिर के दानपात्र से चोरी किये
गये 2554/- रुपये नकद व दुर्गा चालीसा पुस्तिका बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23/24.01.2024 की रात्री में सरकारी अस्पताल परिसर स्थित शिव/शनि मन्दिर के दानपात्र से चोरी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 13/24 धारा 457/380 भादवि की घटना का अतिशीघ्र अनावरण करते हुए अभियुक्त कुलदीप पुत्र विनोद कुमार निवासी मौ0 सर्वज्ञान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर को ब्लाक के पास से गिरफ्तार किया गया। अभि0 कुलदीप के कब्जे से चोरी की गयी एक छोटी महामाया दुर्गा चालीसा की किताब व कुल रुपये 2554 बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 411 भादवि की वृद्धि करते हुए पंजीकृत अभियोग में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशे का आदि हूँ, मैंने पैसे के लालच में परसो रात सरकारी अस्पताल परिसर स्थित मन्दिर के दानपात्र से चोरी कर ली थी। दान पात्र में छोटे रुपये बरामद हुए थे जिन्हे मे आज बदलवाने की फिराक मे था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कुलदीप पुत्र विनोद कुमार निवासी मौ0 सर्वज्ञान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. एक छोटी महामाया दुर्गा चालीसा की किताब
2. चोरी किये गये नोट व सिक्के कुल 2554/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री अमित नागर थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रोहताश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. है0का 490 अरविन्द कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. का0 2228 हरिमान थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 5 घण्टे में पंचायत भवन में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी लोहे की 02 ग्रिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 25.01.2024 को वादी श्री वैभव सैनी पुत्र यशपाल सिंह निवासी सढौली दूनीचन्दपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मोहित द्वारा ग्राम पंचायत भवन से निर्माणाधीन ग्राम पंचायत भवन की 02 लोहे ग्रिल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 30/2024 धारा 379 भादवि के पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं उनके त्वरित अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.01.2024 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **अभियुक्त मोहित पुत्र अमरेश नि0 ग्राम सढौली दूनीचन्दपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को ग्राम सढौली दूनीचन्दपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी लोहे की 02 ग्रिल बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त मोहित उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं कक्षा 8 तक पढ़ा लिखा हूँ मैं नशे का आदी हूँ छोटी मोटी चोरी कर अपनी नशे की जरूरत को पूरा करता हूँ मैंने अपने गांव के पंचायत भवन से लोहे की 02 ग्रिल चोरी कर ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहित पुत्र अमरेश नि0 ग्राम सढौली दूनीचन्दपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

02 लोहे की ग्रिल (चोरी गयी) बरामद

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 373/23 धारा 323/504 भादवि थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बलराम सिंह थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री आनन्दपाल सिंह थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
4. का0 95 विक्रान्त सरोहा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर